उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या:419 / xxvii(7) / 2008
देहरादून:दिनांक:27 अक्टूबर,2008

कार्यालय ज्ञाप

विषय:– छठवे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार के द्वारा लिए गये निर्णयों के कम में वेतन समिति,1 उत्तराखण्ड(2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01–01–2006 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन / ग्रैच्युटी / पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रकिया में संशोधन।

उपरोक्त विषय पर अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति,उत्तराखण्ड(2008) के प्रथम प्रतिवेदन में पेंशनर्स / पारिवारिक पेशनर्स की पेंशन,ग्रैच्युटी तथा पेंशन राशिकरण के सबंध में की गयी संस्तुतियों को संकल्प सख्या 394 / xxvii(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त से संबंधित अन्य प्रकियाओ को यथावत रखते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरो / पारिवारिक पेंशनरो के पेंशन / पारिवारिक पेशन / ग्रैच्युटी एवं पेंशन राशिकरण के नियमो एव दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह आदेश दिनाक 1–1–2006 से प्रभावी समझे जाएगें तथा निर्धारित प्रकिया के अनुसार पेंशन का पुर्ननिर्धारण / समायोजन किया जाएगा।

2–.यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर(जो उत्तर प्रदेश पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स 1961 नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 शासनादेश संख्या–सा–3–969 / दस–923 / 85 दिनांक 8–8–1986 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1720 / दस–308–97 दिनांक 23 दिसम्बर,1997 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे । यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली(गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों,दिनांक 1 अक्टूबर,2005 से लागू नई अशदान पेंशन योजना के सदस्यों,शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, जब तक कि शासन के अन्यथा आदेश न हो ।

3–(1)इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन कर्मचारियों पर लागू होगीं, जो दिनांक 1–1–2006 को अथवा सेवा में रहते हुए दिवंगत हुऐ हैं ।

(2) जिन सरकारी सेवकों के मामले मे दिनांक 1–1–2006 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी का निर्धारण/भुगतान किया जा चुका है,का पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रकिया के अधीन किया जाएगा । यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर्स के लिऐ लाभप्रद न हो, तो उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा ।

4–(1)परिलब्धियॉ–पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों(सेवानैवृत्तिक/डेथ ग्रैच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है, जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2, भाग–2–4 के मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था ।

(2)"वेतन"–का आशय वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के अनुकम में राजकीय कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या 395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–5 के अनुसार निर्धारित वेतन बैंड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड–वेतन का योग होगा,जिसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन एवं अनुमन्य अन्य प्रकार का वेतन सम्मिलित नहीं होगा ।

(3)सेवानैवृत्तिक/डेथ कम ग्रैच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य मंहगाई भत्ते को सम्मिलित किया जाएगा ।

5–पेंशन–पेंशन की गणना पूर्व की भांति औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी, परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि रू0 3500 प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन(1–1–2006 से रू0 80,000/–) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । राज्य सरकार की पेंशन की दरों के संबंध में पूर्व में की गई व्यवस्था उक्तानुसार संशोधित समझी जाएगी ।

यदि कोई सेवक एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो समस्त पेंशन की धनराशि जोड़कर न्यूनतम रू0 3500/–से कम न हो, का आगणन किया जाय तब न्यूनतम पेंशन रू03500/–निर्धारित की जायेगी।

6–पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा–

(1)10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में पूर्व की भांति केवल सर्विस ग्रैच्युटी अनुमन्य होगी ।

(2)पूर्ण पेंशन हेतु 33 वर्ष की राजकीय सेवा की अर्हता को घटाकर अब 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगी ।

(3)20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर अंतिम माह में आहरित वेतन या 10 माह की औसत परिलब्धियॉं जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी । जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, उनके लिए भी उक्त व्यवस्था समान रूप से लागू होगी ।

(4)स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर, सेवानिवृत्ति हेतु अवशेष सेवा अथवा अधिकतम पांच वर्ष जो भी कम हो, की सेवा जोड़ने की व्यवस्था अब समाप्त की जा रही है । वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 के भाग 2-4 के मूल नियम-56 में आवश्यक संशोधन यथासमय कर दिया जायेगा ।

(5)10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर ही अर्ह सेवा 20 वर्ष के औसत मे पेंशन का आगणन किया जाय।

7-**सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी/मृत्यु ग्रैच्युटी-** सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी/मृत्यु ग्रैच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रू0 10.00 लाख(रू0 दस लाख मात्र) से अधिक नहीं होगी । इस विषय में अधिकतम अवधि 33 वर्ष में प्रति वर्ष 15 दिन का मानक पूर्ववत रहेगा ।

8-**पारिवारिक पेंशन-**

(1)पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जायेगी । पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 3500 प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी । इस संदर्भ मे पारिवारिक पेंशन की दरों से संबधित व्यवस्था दिनाक 1-1-2006 से तदनुसार सशोधित समझी जायेगी । दिवंगत हुये सरकारी सेवक के प्रकरण में अन्य प्रकियाओं को यथावत् रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन, अब 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष पर अनुमन्य होगी । उक्त व्यवस्था शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से लागू होगी ।

(2)पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु "**परिवार**" को परिभाषा पूर्ववत निम्नलिखित होगी-

(क)दिनांक 1-1-2006 के पूर्व की व्यवस्था के अधीन परिवार की परिभाषा निम्न प्रकार निर्धारित है-

(1)पत्नी/पति

(2) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

(3)मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम की अविवाहित पुत्री को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाए